श्री बालामुरूगन डी०,भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा दिनांक 19-11-2011 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनी फरीदपुर का किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी :

1. **परिचय :-** जिला मुख्यालय से पश्चिम 10 कि0मी0 की दूरी पर शकुराबाद बाजार में वर्ष 2006 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनी फरीदपुर, शकुराबाद संचालित है। इस केन्द्र के अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 07 है तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की संख्या 12 है। आशा कार्यकत्ताओं की संख्या 135 एवं ऑगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 123 है।

2. **पूर्व का निरीक्षण :-** पूर्व से अब तक किन-किन वरीय पदाधिकारियों के द्वारा कब-कब इस केन्द्र का निरीक्षण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसकी सूची निम्न प्रपत्र में तैयार कर एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करेंगे।

क्र0	नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	अनुपालन की स्थिति

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

3. **पदाधिकारी का पदस्थापन :-** केन्द्र में अब तक कुल कितने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत रहे हैं तथा उनकी अवधि क्या रही है से संबंधित सूची प्राप्त नहीं होने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि निम्न प्रपत्र में सूची तैयार कर एक सप्ताह में उपलब्ध करायेंगे।

क्र0	नाम	पदनाम	अवधि

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

4. **पदस्थापित पदाधिकारियों का स्थापना :-** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनी फरीदपुर नियमित का स्थापना की विवरणी :-

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
1	चिकित्सा पदाधिकारी	15	6	9
2	स्वास्थ्य प्रशिक्षक	5	5	0
3	लिपिक	6	4	2
4	ए.एन.एम.	25	21	4
5	प्रयो0प्रावै0	7	1	6
6	परिधापक	7	1	6
7	फार्मासिस्ट	7	1	6
8	म0स्वा0परिदर्शिका	1	0	1
9	पु0प0क0कार्यकर्ता	1	1	0
10	बी0एच0डब्ल्यू0	7	1	6
11	च0व0क0	16	7	9
	कुल :	97	48	49

5. **पदस्थापित कर्मी की सूची :-** प्राथमिक केन्द्र में पदस्थापित कर्मियों की सूची उपलब्ध नहीं कराने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी को निदेश दिया गया कि निम्न प्रपत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनी में पदस्थापित कर्मियों की सूची उपलब्ध करायेंगे।

क्र0	नाम	पदनाम	किस तिथि से पदस्थापित हैं	अभ्युक्ति

श्री कुमार उपेन्द्र नारायण, लिपिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनी फरीदपुर के बारे में यह सूचना प्राप्त हुई है कि ये लगातार 12 वर्षों से इस केन्द्र में कार्यरत हैं। सिविल सर्जन, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि इस मामले की स्वयं जाँच करें तथा यदि शिकायत सही पाया जाता है तो इनका स्थानांतरण अविलम्ब दूसरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगी।

(अनुपालन : सिविल सर्जन, जहानाबाद/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

6. **अनुक्रमणी पंजी** :- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अनुक्रमणी पंजी का अद्यतण संधारण कर उसके अनुसार प्राप्त पत्रों एवं निर्गत पत्रों को संबंधित संचिका में रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रयोग किये जाने वाले सभी संचिकाओं में संचिका संख्या निश्चित रूप से अंकित होनी चाहिए।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

7. **आगत पंजी** :- आगत पंजी संधारित है। इसमें अब तक 575 पत्रों को संधारित किया गया है, जिसे कहाँ रखा गया है, संचिका संख्या अंकित नहीं किया गया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचिका संख्या निश्चित रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित पत्र को खोजने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

8. **निर्गत पंजी** :- निर्गत पंजी संधारित है, अब तक कुल 716 पत्र निर्गत किये गये हैं, परन्तु किसी भी पत्र को किस संचिका में रखा गया है, अंकित नहीं किया गया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सँचिका संख्या निश्चित रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित पत्र को खोजने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

9. **विकलांग प्रमाण-पत्र पंजी** :- विकलांग प्रमाण-पत्र पंजी का अवलोकन करने पर पाया गया कि इसमें क्रमांक संख्या अलग-अलग तिथि के लिए अलग-अलग दिया गया है तथा शिविर के लिए अलग रजिस्टर भी खोला गया है। इससे अब तक कुल कितने विकलांग प्रमाण-पत्र इस केन्द्र से निर्गत किये गये है, प्राप्त नहीं सकता है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसके लिए एह ही रजिस्टर संधारित करें जिसमें क्रमांक संख्या लगातार रहेंगे एवं दिनांक भी अंकित किया जायेगा सिविल सर्जन, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से इसका अनुश्रवण करे तथा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को एक निर्धारित प्रपत्र प्रिंट कराकर उपलब्ध करायें।

(अनुपालन : सिविल सर्जन, जहानाबाद/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

10. **जन्म प्रमाण-पत्र पंजी** :- जन्म प्रमाण-पत्र पंजी का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस वर्ष क्रमांक 295 से 506 तक किसी का भी जन्म प्रमाण-पत्र नहीं बनाया गया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रसव उपरांत जाने के समय सभी को जन्म प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्राप्त हो, ये सुनिश्चित करायें। इसमें किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं स्वीकार्य की जायेगी।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

परिवार नियोजन ऑपरेशन :- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अप्रील, 2011 से अब तक कुल 190 परिवार नियोजन ऑपरेशन किया गया है। जबकि इस केन्द्र की जनसंख्या के अनुपात में कुल 1417 ऑपरेशन किये जाने थे। यह प्रगति अत्यंत ही धीमी एवं निराशाजनक है। इसमें सुधार लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजन कर परिवार नियोजन ऑपरेशन करने का निदेश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी को दिया गया।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

12. **बाल जननी सुरक्षा योजना :-** प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस योजना में 97 बैकलॉग है। लेखापाल के द्वारा बताया गया कि चेक बना हुआ है, पल्स पोलियों कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण बैंक के द्वारा इसमें विलम्ब हुआ है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसका भुगतान करना सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में बैक लॉग स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। प्रसव के बाद स्वास्थ्य केन्द्र के डिस्चार्ज करने के समय ही उन्हें यह राशि निश्चित रूप से उपलब्ध हो, ये प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर/ लेखापाल, प्रा०स्वा०केन्द्र, रतनी)

13. **ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति :-** स्वास्थ्य प्रबंधक, रतनी फरीदपुर के द्वारा बताया गया कि सभी खातों में राशि हस्तांतरित कर दी गई है तथा कई पंचायतों में इस राशि का प्रयोग भी किया जा चुका है। निदेश दिया गया कि पंचायतवार राशि की उपलब्धता एवं उसके किये गये प्रयोग संबंधी प्रतिवेदन तैयार कर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर/ स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रा०स्वा०केन्द्र, रतनी)

14. **Untied Fune & Annual maintenance grant :-** प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को Untied Fune & Annual maintenance grant के द्वारा दिये गये राशि से उस केन्द्र पर स्वास्थ्य सुविधा सुलभ बनाने के लिए कौन-कौन से कार्य किये गये है से संबंधित प्रतिवेदन स्वास्थ्य केन्द्रवार तैयार कर उपलब्ध करायेंगे। इसमें यह भी स्पष्ट होनी चाहिए कि उस केन्द्र में कौन-कौन सी सुविधा उपलब्ध है।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर/ स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रा०स्वा०केन्द्र, रतनी)

15. **ए.एन.एम. :-** ए.एन.एम. के राशि भुगतान के संबंध में लेखापाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनी फरीदपुर के बताया गया कि राशि का भुगतान अद्यतन है केवल इस माह का शेष है। माह के अंतिम में प्रतिवेदन प्राप्त होते ही राशि का भुगतान कर दिया जाता है।

आशा के पास कीट-ए एवं कीट-बी के उपलब्धता के संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सभी आशा कार्यकत्ताओं के पास कीट-ए एवं कीट-बी उपलब्ध है।

आशा कार्यकर्त्ताओं के साथ मासिक बैठक किये जाने के संबंध में पूछे जाने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि बैठक नहीं की जाती है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह में आशा कार्यकत्ताओं की बैठक बुलाकर उनके कार्यों की समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

16. **संस्थागत प्रसव :-** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का चयन किया जाना था, परन्तु अब तक इसका चयन नहीं किया गया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

को निदेश दिया गया कि अविलम्ब एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में संस्थागत प्रसव कराने की सुविधा उपलब्ध कराते हुए दिनांक 15.12.2011 से प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

17. **आउटसोर्सिंग जनरेटर पंजी :-** पंजी का अवलोकन करने पर पाया गया कि औसत रूप से प्रतिदिन 21 घंटे जनरेटर चलाया गया है, जबकि शकुराबाद में औसतन जहानाबाद शहर की अपेक्षा बिजली उपलब्ध रहती है। इसके बावजूद भी औसतन 20-21 घंटे जनरेटर का प्रयोग दिखाया जा रहा है यथा दिनांक 12,15,16,17.11.2011 को 21 घंटा दिखाया गया है, जो सर्वप्रथम फर्जी है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसमें कटौती कर ही राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

18. **आउटसोर्सिंग भोजन पंजी :-** पंजी का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंजी में मरीज का हस्ताक्षर नहीं किया गया है, परन्तु चिकित्सक का हस्ताक्षर दर्ज है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मरीज से पहले हस्ताक्षर कराने के बाद ही चिकित्सक से हस्ताक्षर कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

19. **High Risk Mother List & High Order Delivery List** :- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनी अंतर्गत कितने हैं, High Risk Mother List & High Order Delivery List हैं, उनकी सूची मांगे जाने पर बताया गया कि सूची नहीं है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसकी सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें ताकि प्रसव के समय लक्ष्य के अनुसार MMR & IMR में कमी किया जा सके।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

20. **पैथेलॉजी :-** पैथेलॉजी सुविधा उपलब्ध है तथा यहाँ सभी प्रकार के आवश्यक टेस्ट किये जाते हैं।
21. **एक्सरे :-** एक्सरे की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
22. **एम्बुलेंस :-** अभी वर्तमान में नया एम्बुलेंस जिला मुख्यालय से उपलब्ध कराया गया है।
23. **Mother Child Tracking System** :- Mother Child Tracking System से संबंधित डॉटा इंट्री की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, इसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी को निदेश दिया गया।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

24. **नि:शुल्क दवा वितरण :-** प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी के द्वारा बताया गया कि निम्न दवा केन्द्र में नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है तथा दवा की कोई कमी नहीं है।

INDOOR		OUTDOOR	
1	Metrocloprimide Inj	1	Paracetamol Tab.
2	Metronidazole infusion	2	B. Complex Tab.
3	Ciprofloxacin	3	Cetrizine Tab.
4	Amoxycilin 500 mg	4	Cough Syrup.
5	Salbutamole Tab	5	Eye Ointment.
6	Altaxim Inj	6	Albendazole Tab.
7	Ranitidine amp	7	Ampicillin Cap 500 mg
8	Methyleromanin inj	8	Amoxycilin 500 mg

9	Glibenclamide tab	9	A.R.V. Inj
10	5% Dextose	10	Metronidazole Tab
11	D.N.S.	11	Ciprofloxacine Tab
12	Sline set	12	Gentamycine Eye/Ear drop
13	Water For Inj	13	Silver Cream
14	Aplicap	14	Calcium Tab
15	Bitadine	15	Plaster of Paris
16	Saflramicine oint	16	Iron Folic Acid Tab
17	Betamethanone Cream	17	Rabeprazole Tab
18	Diclofanic Gel	18	Ampilox Tab
19	Calcium Tab	19	Lovic Syrup.
20	Chloramphenicol Applicap	20	Ofloxacine Tab
21	R.L. Botal		
22	Cotton		
23	Bandage		
24	Gloves		
25	Sprit		
26	Phenayl		
27	Plaster of Paris		
28	Silver Cream		
29	EC Lotion		

25. **प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी को रतनी फरीदपुर में OPD चलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।**

26. अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर ऑगनबाड़ी सेविकाओं एवं आशा कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्येक माह में बैठक आयोजित करने का निदेश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया गया ताकि उनके कार्यों की समीक्षा की जा सके। इसके साथ ही जो कार्य करने वाली आशा कार्यकर्त्ता नहीं हैं, उन्हें हटाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जाय।

27. महादलित टोलों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाय।

28. कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय, शकुराबाद में बच्चियों की स्वास्थ्य जाँच नियमित रूप से करें।

29. नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी योजना के तहत जो स्वास्थ्य कार्ड निर्गत किये गये हैं, उसे पूर्णतः लागु करते हुए सभी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायें।

30. माइक्रो प्लान के तहत निर्धारित BHSND DAY में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें ताकि इस योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा सके।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

31. **ग्राम विकास शिविर** :- प्रत्येक बुधवार को पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली ग्राम विकास शिविर में निश्चित रूप से स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन कर अधिक-से-अधिक व्यक्तियों की स्वास्थ्य जाँच की जाय तथा सभी सुविधा कैम्प में मुहैया कराने की व्यवस्था करें। साथ ही इसके लिए एक अलग से रजिस्टर भी संधारित करें ताकि शिविर के माध्यम से कुल कितने व्यक्तियों की स्वास्थ्य जाँच की गई, इसका ऑकड़ा उपलब्ध रहे।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

32. **निष्कर्ष** : निरीक्षण के उपरांत यह पाया गया कि सिविल सर्जन एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद के द्वारा नियमित रूप से केन्द्रों की जाँच नहीं की जा रही है। आवश्यकता

है कि जिलास्तरीय पदाधिकारी स्वास्थ्य केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करें कि विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है अथवा नहीं? यदि नहीं किया जा रहा है तो अपने स्तर से उसे क्रियान्वित कराने हेतु निदेशित करें। किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो तो तत्काल उसे निष्पादित करायें।

(अनुपालन : सिविल सर्जन, जहानाबाद/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद/ जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, जहानाबाद/ जिला स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद)

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 2458 /गो0, जहानाबाद दिनांक 22 वीं नवम्बर, 2011

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, जहानाबाद/ प्रभारी चिकित्सा पदा0, रतनी फरीदपुर/ स्वास्थ्य प्रबंधक/ लेखा प्रबंधक, प्रा0स्वा0केन्द्र, रतनी एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 2458 /गो0, जहानाबाद दिनांक 22 वीं नवम्बर, 2011

प्रतिलिपि : आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, जहानाबाद।